

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See No. L.T. - 7088/03]

Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI V. SREENIVASA PRASAD) : I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), under sub-section (3) of section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982: -

- (1) G.S.R. 443 (E) dated the 21st June, 2002, publishing the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2002.
- (2) G.S.R. 584 (E) dated the 20th August, 2002, publishing the Sugar Development Fund (Second Amendment) Rules, 2002.
- (3) G.S.R. 67 (E) dated the 29th January, 2003, publishing the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2003. [Placed in Library. See No. L.T. - 5116/03]

Re. DEMAND FOR DISCUSSION ON RECENT DEVELOPMENTS IN THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

श्री सुरेश पच्चारी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, हम आपसे यह बात बड़े अदब से कहना चाहते हैं। इस जनतांत्रिक सदन में न कभी ऐसा हुआ है और न होने की हम अपेक्षा करते हैं। हमने जो नोटिस दिया है, उसके बारे में हम आपका निर्देश चाहते हैं।

श्री सभापति : एक मिनट बैठ जाइए। मैं आपको सारी स्थिति बता दूँ। ...**(व्यवधान)**... आप एक मिनट बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप एक मिनट बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पच्चारी : मान्यवर, यह ज्यादाती है, हम आपसे बड़े अदब से कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : मैं आपको एक ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पच्चारी : महोदय, ऐसा कभी इस सदन में नहीं हुआ है। पिछले अठारह-बीस वर्षों से हम भी इस सदन में रहे हैं और आप इस सर्वोच्च आसन्दी पर विराजमान हैं। ...**(व्यवधान)**... लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान की रक्षा की बात हम न कह पाएँ, नियम और कानून-कायदों की बात हम न कह पाएँ। हाउस की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार हम अपनी बात न उठा पाएँ, तो मैं सोचता हूँ कि इस सब मामले में सदन ...**(व्यवधान)**... आप जो दूसरी बुक है, उसकी प्रोसीडिग़ उठा कर देख लीजिए। जब भी कभी

ऐसी बात हुई है, सदन में हमने इस प्रकार के मामलो को उठाया है और हमें संरक्षण प्राप्त हुआ है। ...**(व्यवधान)**... अगर उत्तर प्रदेश असेम्बली की ये यहां पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। ...**(व्यवधान)**... हमें यह कल्पना भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश की फोटोकॉपी हमें यहां देखने को मिलेगी, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): संविधान की रक्षा होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। मैं सारी स्थिति बता दूंगा अभी आपको। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : बता देंगे?

श्री सभापति : हां, बता दूंगा, आप बैठिए। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक मिनट....अपनी बात आपने कही।...**(व्यवधान)**... मेरी सुनिए। आप एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, हम प्रश्नकाल के समय भी आपसे अपनी बात कहना चाहते थे।...**(व्यवधान)**... हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि हमें आप संरक्षण प्रदान कीजिए।

श्री सभापति : संरक्षण दे रहा हूं मैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, हमें ऐसा न लगे कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली जैसा हाल ये यहां भी करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, एक मिनट....बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको। एक मिनट बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आज प्रश्न काल के पूर्व मुझे श्री सुरेश पचौरी ने एक पत्र दिया था। वह पढ़कर मैं सुना देता हूं। "मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नियम 267 एवं रूल 38 के अधीन राज्य सभा का प्रश्नकाल निरस्त करने के लिए सूचना देता हूं ताकि निम्न लोक महत्व के विषय पर राज्य सभा में चर्चा की जा सके। उत्तर प्रदेश में संविधान का अनुपालन नहीं हुआ है तथा नियमों और संविधान को ताक में रखकर मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। निर्याचित प्रतिनिधियों से सदन में उनके बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है। ऐसी अवस्था में अनुच्छेद 194 का अनुपालन नहीं हो रहा है, अतः इस मुद्दे को प्रश्नकाल निरस्त करते हुए उठाने की अनुमति प्रदान की जाए।**(व्यवधान)**....

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, इससे पूर्व.....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।**(व्यवधान)**.... मैं बोल रहा हूं। आप बैठिए। माननीय सदस्य पचौरी जी यहां बैठे हैं। मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि आप प्रश्न काल को चलने दें। इस विषय पर, आज तीन बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है। उसमें विचार कर लेंगे कि इस विषय पर किस प्रकार से चर्चा की जाए। अब आप मुझे बता दीजिए ...**(व्यवधान)**...एक मिनट, एक मिनट। फिर इसके सामने एक प्रश्न आया कि अरुण शौरी जी ने

यह कहा कि मेरा प्रश्न पहले ही नम्बर पर लिया जाए। उनकी मां को अचानक कोई स्ट्रोक हो गया और वे जाना चाहते थे। आपने कृपा पूर्वक यह कहा कि आप यहां से चले जाइए, आपके प्रश्न हम नहीं लेंगे। हम प्रश्न नहीं लेंगे - उस समय इसका मतलब यह था कि प्रश्न काल स्थगित नहीं हो रहा है और आपके प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। एक मिनट, अब आप मुझे इतना सा कह दीजिए कि आपने इस बात पर एग्री किया था या नहीं किया था कि इसके ऊपर तीन बजे बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विचार होगा और हम प्रश्न काल स्थगित करने के लिए आग्रह नहीं करेंगे।

श्री सुरेश पचीरी : सभापति महोदय, मैं करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं फिर उसको रिपीट करना चाहता हूं कि आप इस सर्वोच्च आसन्दी पर विराजमान हम सबके लिए सर्वमान्य हैं। जिस सर्वोच्च आसन्दी पर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला जी और डा. शंकर दयाल शर्मा जी जैसे लोग विराजमान रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यदि मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो मुझे नहीं कहनी है। ...**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : ठहरिए, ठहरिए,**(व्यवधान)**..

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : इसमें गलत क्या दिया? ...**(व्यवधान)**... इस पर भी आपको एतराज है क्या?...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागदोदिया (राजस्थान) : बोलने तो दीजिए। ...**(व्यवधान)**..

श्री सुरेश पचीरी : जो मैं उनके विषय में कह रहा हूं, अगर इस बात को भी आप नहीं मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ...**(व्यवधान)**... जो बात मैं उनके विषय में कह रहा हूं अगर वह गलत है तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, यदि आपको एतराज है तो।

श्री सभापति : आप बोलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना बता देता हूं कि मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण के मुकाबले का नहीं हूं।

श्री सुरेश पचीरी : यह सदन सदैव रूल और परम्परा के हिसाब से चला है। इस रूल बुक के रूल-267 में, रूल-38 में भी यह व्यवस्था है कि जब कभी ऐसे महत्वपूर्ण मसले आ जाएं, जिनको उठाना पड़े तो हमें सस्पेंशन आफ क्वेश्चन आदर का नोटिस देने की व्यवस्था, इस रूल बुक के तहत है।

श्री सभापति : एग्रीड।

श्री सुरेश पचीरी : मान्यवर, यदि हम सस्पेंशन आफ क्वेश्चन आदर का नोटिस नहीं दे सकते तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि रूल बुक में से यह रूल-38 निकाल दिया जाए।

श्री सभापति : आप एक मिनट ठहरिए।

श्री सुरेश पचीरी : अब बात आती है परम्परा की।

श्री सभापति : परम्परा की बात नहीं आती है। आप यह बताइए कि आपने मुझे एश्योरेस दिया था कि क्वेश्चन आदर को हम सस्पेंड नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय...(व्यवधान).....हम क्वेश्चन आवर को सरप्रेड नहीं करेगे और इस पर कमेटी में चर्चा करेगे।...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : मुझे चेयर की बात का जवाब देने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : हां यह बात हुई थी।...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : जहां तक सदन की परम्परा का प्रश्न है Kaul & Shakti की बुक के पृष्ठ संख्या 622 ...(व्यवधान).... का अवलोकन करें। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।...(व्यवधान)....पहले इसका हैडिंग है :-

"Proclamation on failure of Constitutional machinery in States."

(पृष्ठ संख्या - 622) Kaul & Shakti Practice and Procedure of Parliament. "It is the duty of the Union to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provision of the Constitution."मान्यवर, कांस्टिट्यूशन में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : पचौरी जी, आप कांस्टिट्यूशन का हवाला मत दीजिए। आप मुझे यह बताइए कि आपने मुझे यह एश्योरेंस दिया था या नहीं दिया था कि प्रश्न काल स्थगित नहीं किया जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के. पुंज (उत्तर प्रदेश) : आपसे जो ये पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मान्यवर(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय सभी रूल को ओवर रूल भी कर सकते हैं। यह इनको अधिकार है।...(व्यवधान).... इसको आप चेज नहीं कर सकते।...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)....मुझे जवाब देने दीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : Why is he intervening? सर, सर ..(व्यवधान)...

श्री सभापति : एक मिनट ठहरिए ..(व्यवधान)....दीपांकर मुखर्जी जी ..(व्यवधान)....मुझे तो एक बात का जवाब दिलवा दीजिए कि इन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नहीं दिया था कि क्वेश्चन ओवर स्थगित नहीं किया जाएगा ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, मैं यह जवाब दे रहा हूँ ..(व्यवधान)....दो मिनट...(व्यवधान)....यह जो रूलिंग एण्ड ऑब्जर्वेशन है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : रूलिंग देख ली है मैंने...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, यह जो रूलिंग है... (व्यवधान)... इसमें यह व्यवस्था है कि अगर चैम्बर के अंदर कोई बात होती है तो उस बात का उल्लेख इस सदन में नहीं किया जाए ... (व्यवधान)... या तो इस किताब को आप निरस्त कर दीजिए... (व्यवधान)... समय-समय पर जो पालन नहीं किया जाता है ... (व्यवधान)... आप निरस्त कर दीजिए ... (व्यवधान)... नहीं तो मैं यह बात बता देता हूँ ... (व्यवधान)... लेकिन फिर भी उस बात को, सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन को दरकिनार करते हुए कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने कहा था कि प्रश्न काल नहीं आएगा ... (व्यवधान)... आपका प्रश्न नहीं आएगा ... (व्यवधान)... उसका आशय यह नहीं था कि ... (व्यवधान)... प्रश्नकाल करने दिया जाएगा ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, नहो मुझसे कहा था... (व्यवधान)... प्रश्न काल नहीं ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : लेकिन यह व्यवस्था भी चेयर से रही है कि ... (व्यवधान)... हमेशा बताया गया है कि इस विषय को प्रश्न काल के बाद लिया जाएगा... (व्यवधान)... मैंने यह भी कहा था कि कृपापूर्वक आप हमें यह भी बताएं कि इस विषय को आप हमें प्रश्न काल में उठाने की अनुमति देंगे या प्रश्न काल के बाद ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : मैंने इंकार नहीं किया ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : आपने वह भी स्पष्ट नहीं किया था लेकिन मैं चैंबर की कही हुई बात को इसलिए कोट नहीं करना चाहता ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप कह दीजिए... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : न तो इस रूल में प्रोविजन है... (व्यवधान)... और न ही ... (व्यवधान)... इसमें प्रोविजन है ... (व्यवधान)... फिर भी आप बता दीजिए कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है तो... (व्यवधान)... जो बातें आपने कही हैं मैं वह सब उद्धृत करना चाहता हूँ... (व्यवधान)... लेकिन आप ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : पचौरी जी, मुझे इस बात का दुख है कि हाउस में और हाउस के बाहर, मेरे ऑफिस में, चैम्बर में चर्चा होती है... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : चैम्बर की बात का कभी उल्लेख नहीं होता है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : चर्चा होती है... (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम : चेयरमैन सर... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप ठहरिए... (व्यवधान)... चैम्बर की चर्चा का... (व्यवधान)... अभी एक घण्टे तक मैंने उल्लेख नहीं किया था । आपने सब कुछ कहा लेकिन मैंने नहीं कहा । आप मेरी पोजीशन तो स्पष्ट कीजिए न ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : आप ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लीजिए ... (व्यवधान)... आप अगर रूल के अंतर्गत प्रश्न काल स्थगित करवाना चाहते हैं, मैंने उस समय मना कर दिया था प्रश्न काल स्थगित नहीं

करूंगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्रश्न काल स्थगित नहीं कराना चाहिए। आपका जो प्रश्न है उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में देकर हम तय कर देंगे ...**(व्यवधान)**...आज ही ...**(व्यवधान)**... मेरी बात सुनिए, आज ही ...**(व्यवधान)**...कि किस प्रकार से आप इस मसले को राज्य सभा में ले सकते हैं। आपने उससे एग्री भी कर लिया। एग्री करने के बाद मैं तो इस इम्प्रेशन में आया था कि क्वेश्चन ऑवर होगा और इसी इम्प्रेशन के अंदर हम सब लोगों ने श्री अरुण शौरी जी को अनुमति दी थी कि आपके पांच क्वेश्चन हैं। हम पांच क्वेश्चन पोस्टपोन कर देंगे, मत लीजिए। उसके बाद आप अचानक यह मामला उठाएं तो आप खुद ही सोच लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, नोटिस दिया था।

श्री सभापति : नोटिस दिया था। मैंने खुद ही आपका नोटिस पढ़कर सुना दिया है।

श्री सुरेश पचौरी : अचानक नहीं कहा है।

श्री सभापति : पचौरी जी, आप बहुत सीनियर मੈम्बर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप रूल्स वगैरह जानते हैं। सारे रूल्स आपके पढ़े हुए हैं लेकिन इतना मानकर चलिए कि मैंने भी पचास वर्ष इसी प्रकार की विधानसभाओं में लगाए हैं। रूल्स मेरे भी पढ़े हुए हैं। परम्पराएं क्या हैं, इसकी भी जानकारी मुझे है। मੈम्बर्स का व्यवहार किस प्रकार का होता है, यह भी मुझे जानकारी है। आप अगर वहां पर यह धमकी दे जाएं कि आप यू.पी. जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो हम वह भी कर सकते हैं...**(व्यवधान)**...यह तो मैं समझता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : आप यह क्या कह...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नहीं, मेरा नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : यह कैसे समझ लिया कि इस पर हम ऐसा करना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आपने कहा न कि यू.पी. की सी स्थिति बन जाएगी...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : यू.पी. जैसी स्थिति यहां घटित न हो, इसलिए हमने यह बात कही थी...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकले, मैं इसे उचित नहीं मानता। आप यहां एक दिन के नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नया आया हूं। आप तो पांचवी बार राज्य सभा में पहुंचे हैं। आपका अनुभव भी ज्यादा है। मैं उसे चेलेंज नहीं करता लेकिन मैं विश्वास को तो समझता हूं। मैं आपको विश्वास दूं और आप मुझे विश्वास दे और उस विश्वास का पालन न हो तो दोष किसका है ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मेरी राय है...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक मिनट, अब मेरी राय यह है, क्वेश्चन ऑवर का झंझट तो खत्म हुआ। वह एडजर्न नहीं हुआ, स्थगित नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन ऑवर तो खत्म हुआ इसलिए अब आगे का बिजनेस ले लें। कालिंग अटेंशन...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचीरी : यू.पी. का..(व्यवधान)...

श्री सभापति : यू.पी. के बगैर नहीं करेंगे ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचीरी : सभापति जी, चैम्बर की बात हो तो ..(व्यवधान)...यह तय होना चाहिए..(व्यवधान)...

श्री सभापति : भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि चैम्बर में विश्वास दिया जाए कि उस बात को यहां कोट नहीं किया जाए। यह मैं ध्यान रखूंगा।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी..(व्यवधान)...

श्री सभापति : एक मिनट, मैं यह बता दूँ ..(व्यवधान)...एक मिनट..(व्यवधान)...अगर आप यह चाहते हैं कि कालिंग अटेंशन नोटिस और बाकी का बिजनेस नहीं लें ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचीरी : यू.पी. का पहले हो।

श्री सभापति : नहीं, यू.पी. का पहले नहीं आएगा। तीन बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचीरी : जो सस्पेंशन है ..(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, मैंने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का विचार आने के बाद होगा ही होगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : वह नहीं, अब आप फैसला कर दीजिए कि आप हाउस को चलने देना चाहते हैं या नहीं ? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचीरी : यू0पी0 के मामले पर तय हुआ था कि (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : सर, उस तरफ की बात सुनी है तो एक मिनट इस तरफ की बात भी सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, you have identified me. ...*(Interruptions)*... Sir, you have identified me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*... अब आप बोलिए।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सचमुच उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह बहुत ही चिंताजनक है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के पचास साल मना रहे थे तो क्या उस समय सभी पक्ष के नेताओं ने और सारे दलों के नेताओं ने बैठ कर यह वचन नहीं दिया था कि हम कभी प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस नहीं देंगे ? (व्यवधान) एक मिनट..... (व्यवधान)

श्री सुरेश पचीरी : क्या उसके बाद रूलिंग पार्टी ने प्रश्नकाल स्थगित नहीं कराया, जिसमें आप भी शामिल थे ? (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : सभापति जी ने मुझे अनुमति दी है, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया है । ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : बोलने दीजिए । **(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम : एक मिनट, आप रूल बुक बहुत जानते हैं **(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी : क्या उसके बाद प्रश्नकाल स्थगित नहीं हुआ ? **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए ।

श्री संजय निरुपम : बिल्कुल नहीं हुआ ।**(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप बोलने तो दीजिए ।**(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम : मैं उस पर भी आता हूँ । चेयरमैन साहब, आपके चैंबर में जो बातें होती हैं वे बातें यहां पर न आएँ, यह बिल्कुल माना जा रहा है । यह मानी हुई बात है कि कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए । लेकिन जो हस्ताक्षर आपने किए कि प्रश्नकाल कभी स्थगित करने पर हम विचार नहीं करेंगे, कभी नोटिस भी नहीं देंगे, इस बारे में कभी इस तरह की सामूहिक राय नहीं बनेगी, उस हस्ताक्षर को आप क्यों रीजैक्ट कर रहे हैं, उस हस्ताक्षर को आप पहचानने से क्यों मना कर रहे हैं । दूसरी बात, प्रश्न काल को स्थगित करने के बारे में हमारी रूल बुक के अंदर एक नियम है, लेकिन जितने भी नियम या कानून हैं उनके साथ एक लाइन यह भी लिखी हुई है कि चेयरमैन साहब के पास डिस्क्रीशनरी पॉवर है, वह अगर चाहेगा तभी अनुमति देगे । यहां तक है कि अगर कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर रेज करता है**(व्यवधान)** एक मिनट**(व्यवधान)** इसलिए सभापति महोदय**(व्यवधान)** एक मिनट रुक जाइए, अगर मेरे पास यह अधिकार है कि मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता हूँ**(व्यवधान)** पहले एक घंटा बर्बाद कर चुके हैं, आप दो मिनट हमको भी दे दीजिए**(व्यवधान)** आप दो मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा । सभापति जी, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे पास या हर सदस्य के पास प्वायंट ऑफ ऑर्डर रेज करने का अधिकार है, लेकिन उसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर चेयरमैन साहब चाहेगा या एलाउ करेंगे तभी मैं रेज कर सकता हूँ । इसलिए बात-बात पर यह कहना कि रूल बुक से निकाल दीजिए तो यह बिल्कुल गलत बात है ।

तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह बहुत ही गलत हो रहा है और सच पूछिए तो यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है ।**(व्यवधान)** भगवान के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं को थोड़ी सदबुद्धि आ जाए**(व्यवधान)** जिस तरीके से यहां झगड़ा चल रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है और इससे हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है ।**(व्यवधान)**

इसलिए सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आईदा कभी भी सदन में प्रश्नकाल स्थगित करने का कोई नोटिस न दे । उत्तर प्रदेश पर यदि चर्चा करनी है तो बेशक चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम है, उसके होने के बाद ही उस चर्चा को लिया जाए । धन्यवाद ।

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, मैंने तो यह नोटिस कई दिन पहले दिया था और पिछली जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी...(व्यवधान)...

श्री सभापति : देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल डिफ्रेंट है । इसको आप मिक्स अप मत करिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं मिक्स अप नहीं कर रहा हूँ । यह बात तो यही है ।

श्री सभापति : नहीं, बात तो यही है, लेकिन इसको मिक्स अप मत करिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक : इश्यू यही था कि उत्तर प्रदेश में संविधान का उल्लंघन हो रहा है । वह किसी के नाम का, किसी सरकार का नहीं था, लेकिन यह था कि उत्तर प्रदेश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है । श्रीमन्, तब आपने...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मैंने आपको अनुमति नहीं दी ।

श्री रमा शंकर कौशिक : कार्य मंत्रणा समिति में तय हो गया था...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मैंने अनुमति नहीं दी थी । मैं माननीय सदस्यों को एक बात बता दूँ, माननीय मनमोहन सिंह जी बैठे हैं...(व्यवधान)....एक मिनट, ठहर जाइये। देखिए, यह बड़ा बेसिक क्वेश्चन है । आप एक तरफ अपने बोलने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के हर माननीय सदस्य के बोलने का अधिकार सुरक्षित रहे, इस की सब को चिंता है ।

दूसरी तरफ इसके साथ राज्यों की स्वायत्तता जुड़ी हुई है । उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे, मैं समझता हूँ यह भी इस सदन की सर्वोच्च इच्छा है ।

श्री सुरेश कलमाडी (महाराष्ट्र): काउंसिल ऑफ स्टेट्स ।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है । मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन की भी स्वायत्तता सुरक्षित रहे...(व्यवधान).... आप मेरी बात सुन लीजिए...(व्यवधान).... एक मिनट सुन लीजिए । कल मैं ने क्वेश्चन आदर के बाद आप सब लोगो से निवेदन किया था कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन का जवाब हम सेट्रल गवर्नमेन्ट से चाहते हैं । अब सेट्रल गवर्नमेन्ट वही जवाब देगी जो उन को स्टेट गवर्नमेन्ट सूचना देगी । अब स्टेट गवर्नमेन्ट की सूचना गलत निकले तो स्टेट गवर्नमेन्ट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है और भारत सरकार यदि उन की तरफ से उत्तर दे रही है तो उन की अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है ? लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है इस सदन में आप बैठकर तय कर ले, सदन में बैठकर कल तय कर ले, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर तय कर ले । मैं आज आप को सावधान तो नहीं, लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप यू०पी० का डिस्कस करेंगे, कल कोई माननीय सदस्य कहेगा कि हम बिहार का इश्यू डिस्कस करना चाहते हैं...(व्यवधान).... आप ठहरिए । आप तकाजा क्यों कर रहे हैं ?...(व्यवधान).... आप एक मिनट बैठिए, आप इतना तकाजा क्यों कर रहे हैं ? आप इतनी देर से बोल रहे थे । अब कोई यह कहेगा कि हम तो महाराष्ट्र को डिस्कस करना चाहते हैं, कोई यह कहेगा कि हम कर्नाटक को डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे यह बताइए कि क्या यह सदन इसलिए है कि...(व्यवधान).... गुजरात का, गोवा का...(व्यवधान)....

अरे भाई बैठ जाइए, क्यों जल्दी कर रहे हैं ? ... (व्यवधान)... मुझे बोलने दे । ... (व्यवधान)... आप एक मिनट ठहरिए, मैं आप से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही मौलिक प्रश्न है । यह विधान सभा का भी राइट है, राज्य सभा का भी राइट है और लोक सभा का भी राइट है, लेकिन इस के बीच आप को मर्यादा खींचनी पड़ेगी । ... (व्यवधान)... यदि आप ने मर्यादा नहीं खींची तो आज मान लीजिए मैं ने यू०पी० का अलाउ कर दिया ... (व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए, आज मैं ने यू०पी० का अलाउ कर दिया, कोई कल खड़े होकर कहेंगे कि हम महाराष्ट्र और बंगाल डिस्कस करेंगे ... (व्यवधान)... यही होगा । ... (व्यवधान)... आप ठहरिए, देखिए यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस को आप ईजिली नहीं लें । आप चाहें तो इस विषय पर राज्य सभा में एक दिन की डिबेट मैं करवा सकता हूँ । ... (व्यवधान)... एक मिनट ठहरिए । ... (व्यवधान)... इसी बात पर कि विधान सभा की कौन-कौन सी बातों के ऊपर यह सदन चर्चा कर सकता है ? ... (व्यवधान)... संविधान के अंतर्गत ही, मैं संविधान के बाहर नहीं कह रहा हूँ । न संविधान के बाहर मैं जाऊंगा, न आप लोग जाएंगे और आशा है कि नियमों के विपरीत भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार यह फैसला हो जाय कि हम विधान सभा के संबंध में किन बातों की चर्चा कर सकते हैं । ... (व्यवधान)... आप ठहरिए, आप बहुत विद्वान हैं, मैं जानता हूँ आप को । लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप को थोड़ी सी इस की सीमा बांधनी पड़ेगी । अगर सीमा नहीं बांधेंगे और केवल यह कि अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी तो हम बोलेंगे, तो अध्यक्ष क्या करेंगे ? अध्यक्ष कोई नहीं है । आप का अध्यक्ष तो कान, आंख और जीभ है इस सदन की । अध्यक्ष की कोई मर्जी नहीं है, अध्यक्ष का अपना कोई पद नहीं है । क्वेश्चन इतना सा है कि मैं यह चाहूंगा कि राज्यों की स्वायत्तता के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण, लोक सभा हो, या राज्य सभा हो, नहीं कर पाए । मैं उस की सुरक्षा करूंगा और इस कीमत पर भी करूंगा कि चाहे कुछ हो जाय, मैं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दूंगा जिस व्यवस्था के आधार पर जब आप मर्जी आए स्टेट के मामले को लेकर यहां खड़े हो जाएं । कोई बेसिक क्वेश्चन आता है, आज लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन आप ने उठाया ... (व्यवधान)... आप एक मिनट ठहरिए । आप ने लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन उठाया । मिश्र जी, आप बैठिए । आप ने लॉ एंड ऑर्डर का, विधान सभा में हाथापाई का क्वेश्चन उठाया, इस का अधिकार किसको है ? क्या मुझे अधिकार है ? मुझे अधिकार नहीं है तो राज्य सभा को भी अधिकार नहीं है । क्या मैं इस पर कोई रूलिंग दे सकता हूँ कि विधान सभा के अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी है, वह गलत है ? मैं उस तरह की रूलिंग नहीं दे सकता । मैं यह भी नहीं कह सकता कि विधान सभा में जल्दी से इन्होंने कानून पास कराए, लोगों की वॉइस वोट से मामला दबा दिया । मैं यह नहीं कह सकता कि अध्यक्ष महोदय ने वॉइस वोट को लेकर यह सब कुछ किया तो जब मैं नहीं कह सकता तो यह सदन के माननीय सदस्य क्या कह सकते हैं । जब मेरा अधिकार नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं । इसलिए मेरा भी अधिकार, साथ-साथ इस सदन का अधिकार, संविधान की सुरक्षा और विधानसभाओं की स्वायत्तता की सुरक्षा, इन चारों बातों पर विचार करने को मैं तैयार हूँ । आज ही कोई भूकंप नहीं होगा कि हम उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा न करें । मैं डा० मनमोहन सिंह जी और बाकी के सब सदन के नेताओं से बैठकर बात करूंगा कि आखिर कहां तक आप इसकी परमीशन देना चाहते हैं । अगर आप कह दें कि यह सम्बोक्त खुला है, जो भी कोई चाहेगा उसके ऊपर चर्चा कर सकता है तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं कभी भी इससे सहमत नहीं हो सकता, न मैं होऊंगा, चाहे मुझे पद छोड़ना पड़े । मुझे इसकी धिता नहीं है, लेकिन मैं राज्यों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण नहीं होने दूंगा और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पचौरी जी से, कि आप पचौरी जी यह विचार कर लें, हम

तीन बजे बैठ रहे हैं, आप भी तय कर लें अपनी पार्टी में, कि हम राज्यों की विधानसभाओं की स्वायत्तता पर कितना, किस प्रकार से एन्क्रोच कर सकते हैं, क्या एन्क्रोचमेंट संवैधानिक होगा, क्या नियमों के अंतर्गत होगा और यह नहीं करेंगे तो आप यह मान लें कि हम अपने लिए और विधानसभाओं के लिए भी, ये भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे।(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो विषय आपने अभी उद्धृत किया है, मान्यवर, उस विषय में इस सदन में रूलिंग दी गई है। मैं कोट करना चाहता हूँ 23 अप्रैल, 1986 को...(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं इस संबंध में(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : यह उद्धृत है राज्यसभा में। "Reference ...(Interruptions)..

श्री एस.एस. अहलुवालिया (आरखंड) : कोई भी रूलिंग हाऊस में आती है तो पहले वाली रूलिंग सब खतम हो जाती है।(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, रूलिंग का सवाल नहीं है।(व्यवधान)

SHRI SURESH PACHOURI : This ruling was given in 1986.(Interruptions)..It is not for the first time that we are going to raise this issue.(Interruptions)..

श्री सभापति : यह हाऊस की रूलिंग होगी।

SHRI SURESH PACHOURI : Any reference to the Speaker of a Legislature...(Interruptions)...

श्री सभापति : मैं एडजर्न नहीं करूँगा।.....(व्यवधान)..... आपको मैं यह बता दूँ कि जब तक मैं सारी पार्टीज के लीडर्स से इस बात पर सलाह न कर लूँ, मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा।....(व्यवधान).... एक मिनट। रूलिंग हो तो यह बता देना, उस समय आप बता देना। मैं यह नहीं कहता कि मैं आपकी रूलिंग नहीं देखूँगा, आप रूलिंग बता देना।(व्यवधान)..... आप बात तो सुनिए। आप बैठे रहिए।....(व्यवधान)..... आप बैठ जाइए। आप बैठिए, पचौरी जी।(व्यवधान).... अब आप बैठ जाइए। आप बैठिए। कलराज जी आप बैठिए।(व्यवधान).... आप बैठिए। मैं आपको बता दूँ,(व्यवधान)....पचौरी जी, आप सुन लीजिए। मैं आपको इतना बता दूँ, मैं इस सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलाऊँगा। हाऊस में यदि आप कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने देंगे तो चलेगी, लेकिन कोई यह समझे कि इस प्रकार के वातावरण में मैं हाऊस की मीटिंग एडजर्न करूँगा, नहीं करूँगा, चाहे रात के नौ बजे तक बैठे रहें।(व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, एक मिनट हम निवेदन करेंगे।(व्यवधान).... आप सुन लीजिए हम लोगों को।

श्री सभापति : आपको सुनने को सब तैयार हूँ।.....(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नेता, प्रतिपक्ष क्या कहते हैं?.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइए । ...*(व्यवधान)*.... अब मेरी बिना अनुमति के बोलेंगे तो वह कोई भी रिकार्ड नहीं होगा।

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं)

उपसभापति : चलिए, कालिंग अटेंशन लेते हैं। ..*(व्यवधान)*.. We will have the Calling Attention..*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचीरी : महोदया, ...

उपसभापति : नहीं, अभी कालिंग अटेंशन है। अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंट्स है बोटलबंद पीने के पानी पर। पीने के पानी का सवाल है। ..*(व्यवधान)*.. अभी कोई व्यवस्था नहीं है, डिस्कशन के बाद होगी व्यवस्था। ..*(व्यवधान)*..

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, हम एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहते हैं ..*(व्यवधान)*.. हम उत्तर प्रदेश के बारे में ..*(व्यवधान)*..

श्री सुरेश पचीरी : मैडम, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ..*(व्यवधान)*..

उपसभापति : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कालिंग अटेंशन होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। ..*(व्यवधान)*.. व्यवस्था तब होती है जब कोई डिस्कशन होता है। ..*(व्यवधान)*..

श्री सुरेश पचीरी : हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। ..*(व्यवधान)*..

उपसभापति : आप लोग बैठ जाइए। कोई व्यवस्था होती है, तो डिस्कशन के बाद ही होती है। डिस्कशन बगैर कैसी व्यवस्था होगी। ..*(व्यवधान)*..

श्री सुरेश पचीरी : जो बात हो गई, उस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभापति : नो, वह बात हो गई अभी। चेयरमैन साहब ने ऐडजॉर्न नहीं करने को बोला है, ऐडजॉर्न नहीं होगा। ..*(व्यवधान)*.. हाऊस ऐडजॉर्न नहीं होगा, कृपया बैठ जाइए। ..*(व्यवधान)*.. बैठ जाइए। चलिए, अब कालिंग अटेंशन लेते हैं। हाऊस का समय आपके लिए है, आप लोग बोलिए। ..*(व्यवधान)*.. लिस्टेड बिजनेस का क्या मतलब होता है? ..*(व्यवधान)*.. नो, नो, नो। देखिए, मंत्री जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। ..*(व्यवधान)*.. डा0 टी0 सुब्बाराजी रेड्डी। ..*(व्यवधान)*..

श्री मोती लाल बोरा : उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है ..*(व्यवधान)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you that you want to discuss something..*(Interruptions)*... Just, let me handle it..*(Interruptions)*... If you want to discuss something which is listed in today's 'List of Business', I will allow you. If you want to discuss other than what is listed in the Business, the hon. Chairman..*(Interruptions)*... Please, ...*(Interruptions)*...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh) : Madam, we had given notice as to what we wanted to discuss...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No...(Interruptions)...Until and unless the hon. Chairman permits, I do not have any authority to allow it. So, I am not allowing it. I will tell you. Let us understand the procedure...(Interruptions)...You have been in the House as long as I have been in this House. The thing is: if the hon. Chairman permits it, I can allow the discussion. Whatever is allowed, I can take it up. If you have any agony or anxiety to discuss something, you discuss it with the hon. Chairman and take his permission. I will permit it. I have no problem. I have to run this House under certain rules...(Interruptions)..No, no...(Interruptions)...Even if I am in the Chair...(Interruptions)...Okay. If you think that I am in the Chair, then, I would say that the Calling Attention to matter of urgent public importance be taken up...(Interruptions)...That is my ruling...(Interruptions)...You see, I don't know what you have raised in this House...(Interruptions)...We cannot raise it...(Interruptions)...आप इतने सीनियर मेम्बर हैं हाऊस के, अच्छा नहीं लगता है आपको कहना, आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान).. आप भी बैठ जाइए। गया सिंह जी, बैठ जाइए न। ..(व्यवधान).. पानी की समस्या है, मल्टी नेशनल कम्पनियां लोगों को गलत पानी बेच रही हैं, पैसा कमा रही हैं, उस पर आपको बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. डा.टी. सुब्बारामि रेड्डी जी, बोलिए। ..(व्यवधान)..

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Madam, the point is...(Interruptions)...

उपसभापति : देखिए, समस्या है, प्रॉब्लम है। ..(व्यवधान).. पीने के पानी की समस्या डिस्कस कर लीजिए। ..(व्यवधान).. एक मिनट बैठ जाइए, लीडर आफ दि अपोजीशन बोल रहे हैं।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Madam, it is most unfortunate that the situation has developed the way it has developed. It is not our intention, in any way, to raise issues or discuss the matters which are within the exclusive jurisdiction of the States, including the State Legislature. But, there can be issues on which there is a genuine difference of opinion -- whether a particular issue is something which belongs to that category or not. Our people are genuinely agitated that what is happening in Uttar Pradesh is a gross violation of constitutional norms and proprieties. It is the duty of the Central Government to ensure that the Government of each State is run in accordance with the provisions of the Constitution. The Chairman can differ, other people can differ, but, I think, it will be a very sad day when Members are prevented from raising

issues of such basic importance. I am a newcomer to this House. But I recall there had been issues on which we had debated whether a particular motion should be allowed to be discussed or not. On that question alone, hours and hours of debate had taken place. Therefore, I would submit to you that this is not an issue which should be dismissed lightly. I think, the best course is to adjourn the House, and all leaders should meet the Chairman and find an amicable way out. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra) : It has been decided that this matter would be discussed in the Business Advisory Committee, and thereafter a decision would be taken accordingly. So, till then, the other business of the House should be carried on and no other discussion should take place. ...*(Interruptions)*.. Another thing, Madam, यह सदन की परम्परा रही है कि चेयरमैन साहब के निर्णय देने के बाद इस सदन में उस विषय पर कोई भी बहस नहीं की जा सकती। जो रूल बुक बतलाकर भी यहाँ बात चल रही है उस रूल में भी यही लिखा हुआ है कि चेयरमैन के निर्णय देने के बाद इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बार-बार यही बहस हो रही है जिसे बंद करने की आवश्यकता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The main thing is that Dr. Manmohan Singh, the Leader of the Opposition, has said that Members are agitated on an issue of a State. As I heard the hon. Chairman, he said yesterday that he would like to discuss as to how far we can discuss a matter, relating to a State Legislature, in the Parliament. To come to a conclusion, he would like to have the opinion of the leaders of various political parties, including the Leader of the Opposition and the Leader of the House. And, if we keep on opening the State matters, then, tomorrow the States may discuss what happens in Parliament. Thus, we will be breaking the Centre-State relations. ...*(Interruptions)*.. I would never like...*(Interruptions)* Please listen to me. *(Interruptions)* You and I, all believe in democracy. We also believe in the autonomy of the Centre and the autonomy of the State to run their legislature. We should not reach to a situation where State Assemblies start discussing what happens in the Parliament. This will destroy the entire pattern of democracy in our country. ...*(Interruptions)*.. What is happening - - in different opinions -- may be bad, may be good. I am not making any comment on the State Legislature. But even in the Presiding Officers' meeting it was discussed many a time that the matters of the State should be discussed in the State Legislature. Our Constitution also says it. We should go according to the Constitution. The State Legislature should discuss the State matters; and, the Parliament should discuss the national issues. Dr. Manmohan Singh, I respect your views. But I would like the

Chairman to take a decision on it. *...(Interruptions)...* I agree. At 3.30 p.m., we are going to have the BAC meeting. साढ़े तीन बजे चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाई है। *...(व्यवधान)...* It does not mean *...(Interruptions)...* It is not proper. *...(Interruptions)...* You think for yourself *...(Interruptions)...* Just let me speak. *...(Interruptions)...* Whatever is written on my paper, I am reading it. *...(Interruptions)...* You don't have to be rude to me. *...(Interruptions)...* It is not I who has decided this, so, there is no point in your being angry with me. *...(Interruptions)...* It is not my decision. *...(Interruptions)...* I am not calling the meeting. The meeting is being called by the hon. Chairman at 3.30 p.m. *...(Interruptions)...* I have got this paper, that is why, I am reading from that. *...(Interruptions)...* The other thing is *...(Interruptions)...* Please, please, let me... *...(Interruptions)...* I know, you want to make a submission; I will allow you. *...(Interruptions)...* The main point is, why the taxpayers' money be not utilized for dispensing *...(Interruptions)...* Why? *...(Interruptions)...* Why not? *...(Interruptions)...* we don't want to behave like others do. *...(Interruptions)...* Yes, what is it, Mr. Dipankar Mukherjee? What do you want to say? *...(Interruptions)...* Let the State decide what they want to do. *...(Interruptions)...* Why should we interfere? *...(Interruptions)...* I don't think it should be discussed in this House. *...(Interruptions)...* आप बोलिए। हाउस में अच्छी बात डिसकस हो सकती है। *...(व्यवधान)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I want to clarify one point on behalf of my party.

उपसभापति : एक मिनट। *...(व्यवधान)...* आप बैठिए। मैं खुद कह रही हूँ। *...(व्यवधान)...* दीपांकर मुखर्जी जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, we are fully in agreement so far as the federal set up is concerned. As you rightly said, and the Chairman had mentioned, the issues of State Legislatures should not be discussed in the House. We don't want to intervene in the State matters. *...(Interruptions)...* The point is, this is a matter of urgent public importance; it is beyond what is to be decided in the Business Advisory Committee. This is the first point. *...(Interruptions)...* Something very extraordinary has happened. It is a matter of urgent public importance. *...(Interruptions)...* How we are involved in it, you will know it better than all of us. Something was mentioned here. Somebody talked about the taxpayers' money during the Question Hour. Something has been mentioned; shown, regarding MPLAD Funds. *...(Interruptions)...* Please, let us be serious about it. *...(Interruptions)...* I appeal to all of you. *...(Interruptions)...* It is not a question of them, or us; it is a question of all of us. It is something which has been

mentioned, specifically; charges, counter-charges on something. ...*(Interruptions)*... which all the people have seen that. ...*(Interruptions)*... Would you expect from this Parliament ...*(Interruptions)*... I have not mentioned any party. ...*(Interruptions)*... I have not named any party. ...*(Interruptions)*... All that I am saying is...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, यह जनता जानना चाहती है। कमेटी का सवाल नहीं है।

उपसभापति : आप बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... Mr. Balbir Punj, I will handle it. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Madam, I should be allowed to finish my point. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Dipankar Mukherjee, I will tell you one thing. ...*(Interruptions)*... I understand what you wanted to say. ...*(Interruptions)*... Okay, let me finish, then, I will allow you. ...*(Interruptions)*... Just a minute. ...*(Interruptions)*... Yes, I am the Chairperson of MPLADS Committee. ...*(Interruptions)*... I am not resigning from there. I am just saying, I am the Chairperson of the MPLADS Committee. I would be very happy, if you discuss the matter in the Committee. The Committee had been constituted for all these matters. You should bring it before the Committee and not in the House. ...*(Interruptions)*... Once it is discussed in the Committee, then, we will...*(Interruptions)*... Let me finish. ...*(Interruptions)*... I would like to discuss the matter in the Committee, you can put all your points there. ...*(Interruptions)*... But, it has not been discussed in the Committee; and if you bring it to the House, then, it is violating the rules of the Committee. ...*(Interruptions)*... First, you should discuss the matter in the Committee. ...*(Interruptions)*... Somebody should make a complaint to the Chairman of the Committee, then, we will do it. ...*(Interruptions)*... Then, we will do it. ...*(Interruptions)*... And also, we can discuss the matter of the Members of Rajya Sabha only, and not about the Members of Lok Sabha. I am not responsible for what happens with the Lok Sabha Members Fund. That is not my...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश) : मैडम, यह डेमोक्रेसी का सवाल है। ...*(व्यवधान)*...

उपसभापति : आप नये मेम्बर है। आप पहले अपनी जगह पर जाइये। आप अपनी कुर्सी पर जाकर बोलिए। इस हाउस की परम्परा है। आप अपनी जगह पर जाकर बोलिए। आप वहां से बोलिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। Let us now discuss the Calling Attention, it is a matter of urgent public importance. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I am not being allowed to speak. ...*(Interruptions)*... Secondly, whatever happened yesterday...*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that a lot of things have happened since yesterday. We can discuss it...*(Interruptions)*...

श्री साहिद सिद्दिकी : उत्तर प्रदेश में साढ़े पाँच साल इन्होंने सरकार चलाई है ।
..*(व्यवधान)*..

भीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, यह राज्य सभा का सवाल नहीं है, यह लोक सभा का सवाल नहीं है । ..*(व्यवधान)*.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal) : Please let him finish...*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: There are certain urgent matters...*(Interruptions)*..

SHRIMATI AMBIKA SONI (NCT of Delhi) : Madam ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ambikaji, we can discuss it in the Committee...*(Interruptions)*... There is a Committee to take up those matters...*(Interruptions)*.. We have discussed everything...*(Interruptions)*...

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, you can call a meeting...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I can immediately call a meeting during lunch-hour, if you like...*(Interruptions)*.. Just a minute...*(Interruptions)*... I would call a meeting of the Committee on MPLADS during lunch time, if you want...*(Interruptions)*.. I am not answering your...*(Interruptions)*.. You started MPLADS...*(Interruptions)*..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You said, "it is MPLADS". You referred to MPLADS. I didn't raise it. ...*(Interruptions)*... We are not discussing anything now. I do not know what you want to discuss...*(Interruptions)*.. I fail to understand what is the issue you want to discuss. Is it MPLADS? Is it Constitution? Is it the State Assembly, or what? You are not clear on what you want to discuss...*(Interruptions)*.. अभी यह दिसकस कर लीजिए ।

...(Interruptions)..I have no objection to any discussion, provided it is within the rules...(Interruptions)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Madam, they are talking of MPLADS funds...(Interruptions)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam....(Interruptions)...

उपसभापति : अब आप कॉन्टीन्यू करेंगे तो मैं दूसरे की बात कैसे सुनूंगी? ..(व्यवधान)..Let him speak....(Interruptions)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Madam, I would like to say one sentence...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you say in one sentence...(Interruptions)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Madam, Dipankarji is raising the question of MPLADS funds. It was the CPI(M) MP who, first time, alleged that he had been asked by his party to misuse the funds, by his own people, the CPI (M) people. It was their MP who made this public statement....(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Calling Attention to matter of urgent public importance. I can identify Dr. T. Subbarami Reddy, who is not here. I can identify Shri Rajkumar Dhoot, who is not here. I can identify Shri Jayanta Bhattacharya, Shri Gaya Singh, Shrimati Shabana Azmi. I cannot identify Shri R.S. Gavai...(Interruptions)... I have no way to stop you except to request you...(Interruptions)... Please don't speak...(Interruptions)... I can only say, Please don't speak, discuss the Calling Attention Motion...(Interruptions)...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Madam, we are also representing...(Interruptions)... We must be allowed...(Interruptions)...

श्रीमती अम्बिका सोनी : वहां पर ज्यादाती हो रही है । आप हाउस ऐडजर्न कर दें।..(व्यवधान)..

उपसभापति : ऐडजर्न करने से काम नहीं चलेगा । ..(व्यवधान)..मैं एक बात कहूँ? मैं इस हाउस में बहुत दिनों से हूँ, आप लोग भी बहुत दिनों से हैं, बहुत से मॅम्बर्स तो मुझसे पहले से हैं । हाउस ऐडजर्न करने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो पार्लियामेंट सदा के लिए ऐडजर्न कर दें और हम अपने घर चले जाएँ । सबकी छुट्टी हो जाएगी । ऐडजर्न करने से कुछ नहीं होगा । हम लोग हर चीज़ को डेमोक्रेटिकली डिसकस करना चाहते हैं, under certain

rules and regulations. We do not want to discuss it in a haphazard manner...(Interruptions)...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Madam, we are also representing...(Interruptions)... We must be allowed...(Interruptions)..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, our position is...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I won't allow you. If you bully me, I don't allow you. If you don't bully me, if you request me, I will allow you. ...(Interruptions).. If you bully me, I won't allow...(Interruptions).. You are bullying me. You are pointing your finger to the Chair...(Interruptions)... Sometimes, people look at the Rule Book and talk about the rules. Or, you say, "are you allowing him or not"?.. (Interruptions)... This is not the way of talking. I have been very patient, I have been very polite. Almost ten times I have used the word, 'please'...(Interruptions).. Still, I am saying, 'please sit down.' I have Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance...(Interruptions)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : No...(Interruptions)...

श्री मूल चन्द मीणा : यहां संविधान का हनन हो रहा है और आप पेशेस की ..(व्यवधान)...

उपसभापति : मंत्री जी जवाब देने के लिए बैठे हैं । ..(व्यवधान)..I know it is serious. ...(Interruptions)..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I have not finished...(Interruptions)...The sense of the House is that this matter is of more urgent nature than what is being discussed now...(Interruptions)..

THE DEPUTY CHAIRMAN:No; this is not the sense of the House...(Interruptions)...

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): आप यही संविधान की रक्षा कर रहे हो ! चेयर का आदेश नहीं मान रहे और कहते हैं कि ..(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will discuss it. Let us have a meeting. We will discuss any matter. You have seen and I have seen that, in this House, we have discussed very serious and contentious matters which agitated both the Opposition and the Ruling Party, at various points of time. Let us now go properly. See, the other House is running properly. How will it look if the House of Elders is not working? ...(Interruptions)..

अच्छा, अगर दो घंटे डिसकस नहीं किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? What difference is it going to make? ...*(Interruptions)*... पचीरी जी, अगर हमने थोड़ी देर के बाद निर्णय लेकर एकदम कायदे से डिसकस किया तो वह अच्छा होगा बजाय इसके कि एक haphazard manner में डिसकशन हो। ...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचीरी : मैडम, आपकी उपस्थिति में यह तय हुआ था कि यू.पी. के ईश्यू पर आज डिसकशन लिया जाएगा मगर आज की रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में से उसको नदारद किया गया है। वह इनकी मंशा दर्शाता है। महोदया, आप खुद इस बात की गवाह हैं। ...*(व्यवधान)*...

उपसभापति : देखिए, बिजनेस में नहीं बनाती हूँ। बिजनेस पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाकर देती है। We only go by that. We are not responsible for the business. ...*(Interruptions)*... I am going by whatever business is listed in the 'List of Business'. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचीरी : अगर बिजनेस तय करते समय भी मनमानी हुई है तो इसे आपके नोटिस में लाने का हमें अधिकार है।

उपसभापति : आप नोटिस में लाए, मैंने सुना। मैं मालूम करूंगी इसके बारे में। आपने जो बात उठाई है कि बिजनेस में ऐसा हुआ है तो मैं मालूम करके आपको बता दूंगी। Promise, I give you an assurance from the Chair.

श्री सुरेश पचीरी : लेकिन महोदया, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यू.पी. के मैटर को आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में से निकाला है, उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है?

उपसभापति : मैं वह भी मालूम करूंगी लेकिन सजा का तो मुझे मालूम नहीं कि क्या होगी? ...*(व्यवधान)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The sense of the House is ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; no; this is not the way. The House is supreme and also running of the House is supreme. ...*(Interruptions)*... अभी बैठ जाइए, इस पर इतना अच्छा डिसकशन होगा। ...*(व्यवधान)*... I know the House is concerned about it; every Member ...*(Interruptions)*... यह कितने अफसोस की बात है कि हम लोग एक-दूसरे पर चार्ज लगा रहे हैं।*(व्यवधान)*...

मीलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी (मध्य प्रदेश): भ्रष्टाचार का साथ क्यों दे रहे हैं आप लोग? ...*(व्यवधान)*... इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। ...*(व्यवधान)*...

उपसभापति : अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग बैठिए, डिसकशन कीजिए। डिस्मिशन लेकर बराबर डिसकशन कीजिए। If you want anything to be fruitful, let us discuss it in a proper order; not like this. This is not the way. This is not at all the way. Please sit down.

...(Interruptions)... दीपांकर जी, आप बैठिए। You come to me at the lunch time and I will talk to you. I will discuss it with you. I will call the meeting of the MPLADS and we will see what could be done. ...(Interruptions)..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, it is not related to MPLADS only. ...(Interruptions)...

उपसभापति : अभी आप ही ने तो बोला था।(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, मैं आपसे नियेदन करना चाहूंगी कि यह MPLADS का मामला नहीं है। यह राज्य सभा को एडजॉर्न कराने(व्यवधान)...

उपसभापति : क्यों एडजॉर्न कराना है? जब समय दिया है डिस्कशन के लिए तो एडजॉर्न क्यों करना है? जब चेयरमैन साहब ने मना किया है कि एडजॉर्न नहीं करना तो नहीं करना है। हो गई बात, बैठ जाइए।(व्यवधान)...देखिए, न तो यहां डिस्कशन हो रहा है और न कुछ और काम कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, डिस्कशन कीजिए।(व्यवधान)... Now, I will take up the Calling Attention to matter of urgent public importance.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, the issue which has been raised right from the morning, on which the whole House is agitated, is more important. ...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want your attention. ...(Interruptions)...

श्री सुरेश पटवारी : महोदया, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। यू.पी. में जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की घज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस विषय पर यहां अविलम्ब चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है।

उपसभापति : देखिए, अभी चार-पांच मिनट में तो डिस्कस होगा नहीं। आप लोग बेकार खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है।(व्यवधान)...बैठिए न सुरेश जी, आप इतने सीनियर हैं, आप बैठिए न। इतने सीनियर लोग खड़े हैं, मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा।(व्यवधान)...बैठ जाइए....बैठिए....बैठिए। लीडर ऑफ दि ओपोज़िशन ने कहा, हमने बहुत शांति से सुना और उसे सीरियसली लिया।(व्यवधान)... पर लीडर ऑफ दि ओपोज़िशन ने एडजॉर्न करने को नहीं कहा।(व्यवधान).... उन्होंने एडजॉर्न करने के लिए नहीं कहा है। I didn't hear it. ...(Interruptions).. The Leader of the Opposition never said, "to adjourn the House". He said, "to discuss....." ...(Interruptions).. He never said so. I have my full confidence in the Leader of the Opposition. He is a responsible parliamentarian and he will never ask for such a thing. ...(Interruptions).. He is anguished. He wants to discuss the matter and we appreciate it. The House is for discussion, not for adjournment. ...(Interruptions).. क्या(व्यवधान)...लंच आवर नहीं होना चाहिए?.....(व्यवधान).....

श्री संजय निरुपम : मैडम, लंच आवर में भी एडजॉर्न नहीं करना चाहिए...(व्यवधान)...

उपसभापति : वे कह रहे हैं कि लंच भी मत रखो।

श्री सुरेश पच्चरी : आप इसको हमेशा के लिए तय कर लो....(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can adjourn the House for lunch and then discuss the matter during the lunch hour.(Interruptions)

उपसभापति : प्रोसिजर तो फार्मूलेट करेंगे। ... (व्यवधान)....

श्री सुरेश पच्चरी : अगर डिसिजन पहले से कर लिया जाए फिर विपक्ष को बुलाया जाए तो हमें उस मीटिंग में आने का कोई शौक नहीं है।(व्यवधान)...

उपसभापति : मीटिंग अभी दो मिनट के बाद लंच में हो रही है। ... (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम : चेयरमैन साहब की रूलिंग है कि हाउस लन्च में भी एडजोर्न नहीं होना चाहिए।(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why should I not have my lunch? ... (Interruptions).. Do you want no lunch? ... (Interruptions).. क्या आपको लन्च नहीं करना है?(व्यवधान)...

श्री सुरेश पच्चरी : आप लंच मत कीजिए, लेकिन डिसिजन अभी कर लीजिए। (व्यवधान)...

श्री संजय पच्चरी : जब चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे तब चर्चा होगी(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have a suggestion. ... (Interruptions).. Don't give such an atrocious suggestion of 'no lunch'. ... (Interruptions).. I don't agree with it. ... (Interruptions).. We should have a proper lunch. Then, come back to the House and discuss whatever you want to discuss. ... (Interruptions).. We have the Central Vigilance Commission Bill, 2003. ... (Interruptions).. We can adjourn for lunch, and then we can discuss. ... (Interruptions)... हमने रूलिंग नहीं दी है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : हम लोग तो बैठे हुए हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो चले गए। उनको शर्म आ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है....(व्यवधान).... No lunch, no dinner. ... (Interruptions) ... We have to address the issue. ... (Interruptions)... We cannot avoid the issue.(Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can adjourn for lunch, and then we can discuss.(Interruptions) ...

श्री सुरेश पच्चरी : हम चाहते हैं कि आप हाउस एडजोर्न न करें(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान : इनको शर्म आनी चाहिए।....(व्यवधान)....

उपसभापति : इतना शोर मचेगा तो कोई भी शर्माएगा। I am also feeling embarrassing. ...*(Interruptions)*.. नहीं-नहीं इनकी तो यही सीट है। ..*(व्यवधान)*... आपकी सीट तो यही है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock

The House reassembled after lunch at two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री रमा शंकर कौशिक : माननीया उपसभापति जी...*(व्यवधान)*...

उपसभापति : जी, क्या करें ?

श्री जनेश्वर मिश्र : उपसभापति महोदया, हम लोगों को कुछ निवेदन करना है ।

उपसभापति : डा. साहब, आप बताइए क्या करें ।

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, I had requested you in the morning that, in view of what had happened in the House, I think, it is important that time should be allowed for tempers to cool down, and I had suggested that the House should be adjourned for half an hour. I again repeat that suggestion, so that thereafter, we can meet among ourselves, we can meet with all the leaders of various political parties, to find out an honourable solution to this problem.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you, because, that is exactly what the hon. Chairman wanted, that we should discuss it, and then go about it properly how we can do it. I have no objection, and I do not think that the Government will have any objection. We can adjourn the House for half an hour, have a meeting in the Chairman's Chamber, discuss the matter, and as advised, we will go ahead.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): मैडम, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

उपसभापति : ठीक है। So, the House is adjourned for half an hour till 2.30 PM.

The House then adjourned at two minutes past two of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री प्रेम गुप्ता : मैडम, क्या हुआ ? (व्यवधान)

उपसभापति : अभी बात-चीत चल रही है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वह आपको बता देंगे । (व्यवधान) अभी आप बैठिए । अगर आप एलाउ करे तो हम लोग (व्यवधान) काम तो जो भी होगा, वह करेंगे । यह तो नहीं कि हम हाउस बंद कर देंगे । सप्लीमेंटरी डिमांड्स ले करनी हैं । अगर आप कहे तो ले कर दें । नहीं तो बजट पर डिस्कशन रुक जाएगा । यह मीटिंग तो चल ही रही है । फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम हाउस एडजर्न कर देंगे ।

Supplementary Demands for Grants (General) 2002-03.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2002-03

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GINGEE S. RAMACHANDRAN) : Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2002-2003 (March 2003).

श्री सुरेश पट्टीरी (मध्य प्रदेश) : मैडम, जो स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमने आसंदी से अनुमति चाही है । हम चाहेंगे कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रहा है ।... (व्यवधान)... इसलिए मैं सोचता हूँ कि कृपापूर्वक आप हमें अनुमति प्रदान करें ताकि हम अपनी बात कह सकें ।

उपसभापति : आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि देश में कई जगह परिस्थिति ठीक नहीं है । आपकी जो चिंता है उससे मैं सहमत हूँ । मगर जब तक कोई प्रोसीजर न तय हो जाए कि हाउस में यह डिस्कशन किस तरीके से लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि मैं हाउस को एडजर्न कर दूँ ।... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पट्टीरी : मैडम, यह तय हो गया था कि आज उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा की जाएगी, लेकिन लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश नदारद है । इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति पर चर्चा करें ।

उपसभापति : लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है । अगर लिस्ट में नहीं है ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पट्टीरी : इसीलिए हम आपकी अनुमति चाह रहे हैं ।

उपसभापति : हमारी अनुमति तो तब होगी जब जवाब देने के लिए मंत्री जी भी यहां हों ।

The House then adjourned at thirty-two minutes
past two of the clock.